न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—288/2021/225 आर.टी.एक्ट (2021/288)

1. श्रीमती राजकुमारी बाफणा धर्मपत्नी श्री अनीलकुमारजी बाफणा जाति बाफणा जैन निवासी मेवाडी गेट ब्यावर, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर।
2- राजस्थान सरकार जरिए जिला कलेक्टर, अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955,आदेश दिनांक 27.10.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर, ब्यावर, राजस्व वाद संख्या 46/2021

उपस्थितः—

1. श्री ज्ञानचंद गादिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 1, 2

निर्णय

दिनांकः—30.9.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 46/2021 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 27.10.2021 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा संख्या 44 क्षेत्रफल 0.3237 व खसरा संख्या 45 क्षेत्रफल 0.4087 की खातेदार व काबिज काश्त प्रार्थीया ही चली आ रही है, प्रार्थीया की उपरोक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में आने जाने व काश्त की सामग्री लाने ले जाने के लिए कोई रास्ता वर्तमान में मौजूद नहीं है जिससे प्रार्थीया को असीम हानि के साथ व कृषि पैदावार भी नहीं कर पा रही है व आने जाने के रास्ते के अभाव में प्रार्थीया अपनी भूमि का उपयोग भी नहीं कर पा रही है। प्रार्थीया की उपरोक्त वर्णित भूमि के उत्तर में सरकारी भूमि खसरा संख्या 2329/16 क्षेत्रफल 2.3634 किस्म दांती, खसरा संख्या 15 क्षेत्रफल 0.567 किस्म गै0म0 रास्ता खसरा संख्या 14 क्षेत्रफल 0.3925 किस्म गै0मु0 दांती, खसरा संख्या 13 क्षेत्रफल 0.4371 किस्म दांती भूमि स्थित चली आ रही है व उसके आगे गोहाना पक्की डामर सडक स्थित है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ अंग स्वरूप सलंग्न परिशिष्ट क में लाल स्याही से अ, ब, स, द दर्शाया गया। प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है व रास्ता नहीं होने से काश्त हेतु ट्रेक्टर टोली नहीं ले पा रही है व न ही काश्त कर पा रहे हैं व प्रार्थीया की वादग्रस्त आराजी में आने जाने के लिए एवम उसमें ट्रेक्टर, ट्रोली या अन्य वाहन के आने जाने के लिए गोहाना डामर रोड से खसरा संख्या 13, 14, 15, 2329/16 में से 30 फिट चौड़ाई की भूमि रास्ते के लिए आवश्यक है, जिसे आवेदन पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रयाही से दर्शाया गया है जो कि

प्रार्थीया के व उसके वाहनों के आवागमन के काम आएगी, जितनी भूमि रास्ते के लिए निर्णित की जावेगी उसका वे अप्रार्थीगण को नियमानुसार या माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो भी कीमत तय की जावेगी, भूमि की कीमत की राशि का भुगतान करने के लिए तैयार व तत्पर है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस तामील करवा कर, तहसीलदार, ब्यावर से मौका रिपोर्ट तलब की जाने के पश्चात उभयपक्षो को सुनने के पश्चात प्रार्थिया/अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम को दिनांक 27.10.2021 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के आदेश दिनांक 27.10.2021से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत आदेश व निर्णय दिनांक 27.10.2021 न तो न्यायसंगत है व न ही नैसर्गिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांत के अनुकूल ही है, चूंकि अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण, आलोच्य एवं अवैधानिक होने के साथ साथ तर्कपूर्ण व न्यायोचित कारणों व आधारों से भी रहित है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश व निर्णय दिनांक 27.10.2021 मनमाना व परवर्श है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली राजस्व केम्प गोहाना में रखे जाने बाबत कोई विधिवत सूचना प्रार्थीया को नहीं दी व राजस्व केम्पों में केवल मात्र लोक अदालत की भावना से वे ही प्रकरण तय किए जा सकते है जो कि आपसी सुलहनामा अथवा पक्षकारान की सहमती से हो, राजस्व केम्पों में न तो तनकियात कायम की जाती है व न ही साक्ष्य ली जाती है व न ही बहस सुनी जाती है व न ही गुणावगुण पर तय किया जा सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व केम्प गोहाना में बिना प्रार्थीया अथवा उसके वकील को गुणावगुण पर सुने प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने यह उपपति देकर की कथित रास्ते बाबत स्थगन आदेश अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कि जबकि रास्ता दिए जाने बाबत अपीलीय न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावशील नहीं था, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीया की प्रार्थना स्वीकार योग्य नहीं पाया जाने का आदेश देकर भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी उपपति देकर की स्थगन आदेश के पश्चात नियमानुसार पुनः कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है अतएवं पत्रावली इंतजार स्थगन आदेश में रखी जा सकती थी किन्तु प्रार्थना–पत्र निरस्त कर भारी भूल की है। अतः मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10..2021 को निरस्त जाकर आवेदन पत्र स्वीकार जाकर प्रार्थिया संख्या 01 व 02 की भूमि खसरा नम्बर 14, 15, 2329/16 वाकै ग्राम गौहाना तहसील ब्यावर में से 30 फीट चौड़ा व मान्नीय न्यायालय जो भी न्यायोचित समझे अपीलार्थीया–प्रार्थीया के व्यय पर रास्ता दिलाया जायें, विकल्प में मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण गुणावगुण पर सुने जाने का अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर निर्णित करने का आदेश प्रदान करावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब /बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है क्योंकि खसरा नम्बर 16 पर मान्नीय न्यायालय का स्थगन आदेश होने

तथा अपील मान्नीय संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष विचाराधीन होने से रास्ता दिया विधि सम्मत नहीं था तथा खसरा नम्बर 14 सिवायचक है, खसरा नम्बर 15 सिवायचक रास्ता दर्ज हैं। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जाने के आदेश प्रदान करावे।

6. विद्धान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं गुणावगुण पर पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थिया/अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम को इस आधार पर खारिज किया कि खसरा नम्बर 16 बाबत् राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के द्वारा स्थगन जारी हो रखा है तथा अपील मान्नीय संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष विचाराधीन हैं होने से प्रार्थीया/अपीलांट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय को यह भी उपपति देकर की मांगे रास्ते पर मान्नीय उच्चतर न्यायालय का स्थगन है तो यह भी उपपति देकर नियमानुसार धारा 10 जाप्ता दीवानी के तहत् कार्यवाही स्थगित रखी जा सकती थी। उपरोक्त कारण से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.10.2021 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे प्रार्थीया/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम में मांगा गया रास्ता खातेदारी काश्तकारी भूमि के लिए या औद्योगिक प्रयोजनार्थ के लिए मांगा गया है कि जॉच करवा कर यदि प्रार्थीया/अपीलांट का प्रकरण धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत् बनना पाया जाता है तो उभयपक्षकारान को जवाब/सुनवाई का अवसर देते हुए अपीलीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर में विचाराधीन अपील के निस्तारण के बाद नये सिरे से निर्णय पारित करें तब तक कार्यवाही स्थगित रखी जावे।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के द्वारा प्रकरण संख्या 46/2021 में पारित आदेश दिनांक 27.10.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे प्रार्थीया/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम में मांगा गया रास्ता खातेदारी काश्तकारी भूमि के लिए या औद्योगिक प्रयोजनार्थ के लिए मांगा गया है कि जॉच करवा कर यदि प्रार्थीया/अपीलांट का प्रकरण धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत् बनना पाया जाता है तो उभयपक्षकारान को जवाब/सुनवाई का अवसर देते हुए अपीलीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर में विचाराधीन अपील के निस्तारण के बाद नये सिरे से निर्णय पारित करें तब तक कार्यवाही स्थगित रखी जावें। पक्षकारान को पावंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.10.2022 को उपस्थित रहे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 28.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर